13. ई0एफ0सी0 संबंधी शासनादेश

विषय सूची			
क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं आदि की स्वीकृति हेतु व्यय वित्त समिति के गठन, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रक्रिया संबंधी कार्यालय ज्ञाप	126032/XXVII(1)/2023 दिनांक 01 जून, 2023	377–380
2.	व्यय वित्त समिति संबंधी दिनांक 01 जून, 2023 में संशोधन संबंधी कार्यालय ज्ञाप	152957/2023/वित्त अनुभाग–1 दिनांक 12 सितम्बर, 2023	381–382

I/126032/2023

I/126032/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 1
देहरादून : दिनांक : 01 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 474/02(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 01 अगस्त, 2019 के द्वारा शासन स्तर पर विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं आदि की स्वीकृति हेतु व्यय वित्त समिति के गठन, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2– तत्क्रम में योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया में गतिशीलता लाए जाने एवं समय से साथ परिवर्तनीय बाजार दरों को संज्ञान में रखते हुए व्यय वित्त समिति के कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 अगस्त, 2019 के कतिपय प्रस्तरों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.8.2019 का प्रस्तर संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2A	समिति के सम्मुख ऐसी समस्त योजनायें/परियोजनायें, जिसमें समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना हो अथवा उस प्रस्ताव में कोई अंश, जिनमें किसी एक इकाई पर रू 50.00 लाख का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रू 5.00 करोड़ या उससे अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव अनिवार्यतः व्यय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।	राज्य सरकार द्वारा व्ययभार वहन किये जाने वाली ऐसी समस्त योजनायें/परियोजनायें, जिनमें किसी एक इकाई पर रू 1.00 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रू 10.00 करोड़ से अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव अनिवार्यतः व्यय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।
2C	CSS के अन्तर्गत कोई योजना जो पूर्व से चल रही हो (On Going Scheme) सामान्यतः व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित नहीं होंगी। परन्तु इस प्रकार की योजना का ऐसा घटक जो नई परियोजना हो एवं उस पर रू 60.00 लाख का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रू 5.00 करोड़ या उससे अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित होंगे। (उदाहरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पूर्व से चल रही (On	CSS के अन्तर्गत कोई योजना जो पूर्व से चल रही हो (On Going Scheme) सामान्यतः व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित नहीं होंगी। परन्तु इस प्रकार की योजना का ऐसा घटक, जो नई परियोजना हो एवं उस पर रू 1.00 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रू 10.00 करोड़ से अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित होंगे। (उदाहरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पूर्व से चल रही (On Going Scheme) NHM स्कीम सामान्यतः व्यय

	Going Scheme) NHM स्कीम सामान्यतः व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित नहीं होंगी, परन्तु उक्त योजना (Scheme) के अन्तर्गत कोई नया अस्पताल बनाया जाता है, जिस पर रू 50.00 लाख का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रू 5.00 करोड़ या उससे अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित होंगे।)	वित्त समिति की परिधि से आच्छादित नहीं होंगी, परन्तु उक्त योजना (Scheme) के अन्तर्गत कोई नया अस्पताल बनाया जाता है, जिस पर रू 1.00 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रू 10.00 करोड़ से अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित होंगे।)
2F	रू0 3.00 करोड़ से अधिक के ऐसे अनावर्तक कार्यो/परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन यदि मूल अनुमानों से 50 प्रतिशत से अधिक हों तो पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण /तकनीकी परीक्षण एवं उस पर विचार व्यय वित्त समिति के माध्यम से ही किया जायेगा तत्पश्चात वित्त विभाग वित्तीय स्वीकृति संबंधित कार्यवाही करेंगे।	रू0 6.00 करोड़ से अधिक के ऐसे अनावर्तक कार्यो/परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन यदि मूल अनुमानों से 50 प्रतिशत अथवा रू 10.00 करोड़ (दोनों में से जो धनराशि कम हो) से अधिक हों तो पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण/तकनीकी परीक्षण एवं उस पर विचार व्यय वित्त समिति के माध्यम से ही किया जायेगा। तत्पश्चात वित्त विभाग वित्तीय स्वीकृति संबंधित कार्यवाही करेंगे।
2H	विशेष परिस्थितियों में व्यय वित्त समिति की परिधि में न आने वाले किसी भी प्रस्ताव को तकनीकी परीक्षण हेतु व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। व्यय वित्त समिति की परिधि में मात्र निर्माण/विकास कार्यों विषयक परियोजनायें ही नहीं आयेंगी, वरन रू 5.00 करोड़ या अधिक की सभी नई योजनाओं/परियोजनाओं को व्यय वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ सन्दर्भित किया जाना चाहिये जब तक कि वित्त विभाग से किसी विशिष्ट योजना को छोड़ने का अनुमोदन न दिया गया हो।	विशेष परिस्थितियों में व्यय वित्त समिति की परिधि में न आने वाले किसी भी प्रस्ताव को तकनीकी परीक्षण हेतु व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। व्यय वित्त समिति की परिधि में मात्र निर्माण/विकास कार्यो विषयक परियोजनायें ही नहीं आयेंगी, बल्कि रू 10.00 करोड़ से अधिक की सभी नई पूंजीगत एवं राजस्व पक्ष से सम्बन्धित योजनाओं /परियोजनाओं (कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों को छोड़कर) को व्यय वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ सन्दर्भित किया जायेगा, जब तक कि वित्त विभाग से किसी विशिष्ट योजना को छोड़ने का अनुमोदन न दिया गया हो।
3	व्यय वित्त समिति की परिधि से बाहर की योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन जिनकी लागत रू. 1.00 करोड़ से अधिक तथा रू 6.00 करोड़ से कम हों, को प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण किया जायेगा। इस प्रकार की विभागीय समिति की बैठक में नियोजन विभाग के	व्यय वित्त समिति की परिधि से बाहर की योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्ताव /आगणन, जिनकी लागत रू 1.00 करोड़ से रू 10.00 करोड़ तक हों, को प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं के अनुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 474 दिनांक 01.8.2010 में निर्दिष्ट बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण किया जायेगा। इस प्रकार

	अंतर्गत राज्य योजना आयोग के तकनीकी अभियंताओं को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जायेगा और विभागीय समिति द्वारा उनके सुझावों का संज्ञान लेते हुए बैठक का कार्यवृत्त निर्गत किया जायेगा। विभागीय समिति के समक्ष 'परिशिष्ट–क' के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।	की विभागीय वित्त समिति की बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों को एवं नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य योजना आयोग के तकनीकी अभियंताओं को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जायेगा। वित्त एवं नियोजन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा विभागीय वित्त समिति की बैठक में वित्त एवं नियोजन विभाग के परीक्षण के बिन्दुओं का समाधान कराया जायेगा और विभागीय वित्त समिति द्वारा उनके सुझावों का संज्ञान लेते हुए बैठक का कार्यवृत्त निर्गत किया जायेगा। विभागीय समिति के समक्ष उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 474 दिनांक 01.8.2019 के 'परिशिष्ट–क' के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
4(4)	प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत रू 1.00 करोड़ से अधिक के आगणनों का तकनीकी परीक्षण पूर्व की भांति तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–156 दिनांक 24.02.2015 एवं शासनादेश सं0–359, दिनांक 23.03.2015 में दी गयी व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। इनमें से रू 5.00 करोड़ अथवा इससे अधिक के आगणनों का तकनीकी परीक्षण तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) से किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण व्यय वित्त समिति द्वारा किया जायेगा।	आगणनों की TAC से सम्बन्धित व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर TAC के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुसार प्रभावी रहेगी।

3– उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 अगस्त, 2019 को मात्र उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 31-05-2023 10:55:47
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या 1260(1)/XXVII(1)/2023 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2- निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6- महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।

7– आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10– मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को मा. मंत्रिमण्डल के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी उनके पत्र संख्या 4/2/IX/XXI/2023-CX दिनांक 19 मई, 2023 के क्रम में।
11– राज्य योजना आयोग/नोडल विभाग।
12– गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

/152957/2023

/152957/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 1
देहरादून : दिनांक : 12 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 474/02(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 01 अगस्त, 2019 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 126032/2023 दिनांक 01 जून, 2023 के द्वारा शासन स्तर पर विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं आदि की स्वीकृति हेतु व्यय वित्त समिति के गठन, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2– तत्क्रम में व्यय वित्त समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यों, जिनकी लागत में रू. 10करोड़ से अधिक का पुनरीक्षण होता है, को भी व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित किए जाने हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 अगस्त, 2019 के प्रस्तर–2I को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.08.2019 का प्रस्तर संख्या	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
2 I	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के ऐसे प्रस्ताव/आगणन, जिनकी लागत में यदि 50 प्रतिशत पुनरीक्षण होता है तो ऐसे प्रस्तावों को निर्धारित प्रकियानुसार व्यय वित्त समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्टीकरणः– व्यय वित्त समिति के समक्ष रखे जाने हेतु किसी भी प्रस्ताव की लागत आकलित करते समय उन संबंधित मदों की लागत भी सम्मिलित की जायेगी, जिनका कराया जाना उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होगा।	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के ऐसे प्रस्ताव/आगणन, जिनकी लागत में यदि 50 प्रतिशत अथवा रू 10.00 करोड़ से अधिक, जो भी कम हो, पुनरीक्षण/वृद्धि होती हो तो ऐसे प्रस्तावों को निर्धारित प्रकियानुसार व्यय वित्त समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्टीकरणः– व्यय वित्त समिति के समक्ष रखे जाने हेतु किसी भी प्रस्ताव की लागत आकलित करते समय उन संबंधित मदों की लागत भी सम्मिलित की जायेगी जिनका कराया जाना उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होगा।

3– उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 अगस्त, 2019 को मात्र उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 11-09-2023 14:47:43

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

Scanned with

संख्या : 52953(1)/XXVII(1)/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6– महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।
7– आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10– मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को मा. मंत्रिमण्डल के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी उनके पत्र सं0–4/2/XIII/XXI/2023-CX दिनांक 28.08.2023 के क्रम में।
11– राज्य योजना आयोग/नोडल विभाग।
12– गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।